बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि 27 जुलाई, 1990 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि 27 जुलाई, 1990 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष श्री गुलाम सरवर के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि : 27 जुलाई, 1990 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा

सड़क का निर्माण

न-1504. श्रीमती शांति देवी : क्या मंत्री योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि जिला योजना से ग्रामीण मुख्य पथों का निर्माण कराया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कजरा ग्राम के शरणार्थी टोला से पचीरा ग्राम के पुलहरी टोला होते हुए बैद्यनाथ पोद्दार के घर तक ग्रामीण सड़क जाती है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण नहीं होने से रानीगंज प्रखंड के ग्राम के लोगों को आवागमन में असुविधा होती है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण जिला योजना से कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों?

श्री जगदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय,

(खंड-1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला योजना के अनटायड फ्रंड से अधिक से अधिक 30 प्रतिशत राशि ग्रामीण पथों के लिए कार्यन्वित की जानी है।

(खंड-2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(खंड-3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(खंड-4) कथित योजना जिला योजना एवं विकास परिषद की अगली बैठक में योजनाओं के चयन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ रखा जायगा।

दोषि व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

न-1528. श्री मो० सिद्दीक : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड अन्तर्गत गणेश टोला से खयआ तक ईंट बिछाई कार्य के लिये वर्ष 1987-88 में जिला योजना, कटिहार के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी को 4,67,580 रुपये की राशि आवंटित की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ की ही ईंट बिछाई कार्य के लिये 1986-87 में जिला योजना कार्यालय, कटिहार से 8 कि०मी० तक खंडों में बांटकर 17,27,186 रुपए की राशि कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को दी गई है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य में दो एजेंसियों को कार्य आबंटित करने का क्या औचित्य है तथा इससे सरकारी राशि का अपव्यय है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कार्य की जांच कराते हुए दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, और नहीं, तो क्यों ?